राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2153/2021

राजेन्द्र प्रसाद **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय दौसा।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिवाई, जिला दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.06.2021
आदेश की दिनांक : 20.03.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा की अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.06.2021 को अवैद्य एवं अनुचित मानते हुए अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पर 4200/– ग्रेड पे, 18 वर्ष की सेवा पर 4800/– ग्रेड पे तथा 27 वर्ष की सेवा पर 5400/– की ग्रेड पे पर निर्धारण करते हुए सातवें वेतन आयोग का फिक्सेशन कर ब्याज सहित अपीलार्थी को भुगतान कराया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर सितम्बर 1985 में की गई थी। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 28.09.1985 को कार्यग्रहण किया था। उसके पश्चात् अक्टूबर 2006 में वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी की पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक के पद पर की गई तथा वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध जुलाई 2016 में व्याख्याता के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत है। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 05.07.2013 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के अन्तर्गत ग्रेड–पे परिवर्तित करते हुए अध्यापक ग्रेड तृतीय की एन्ट्री पे स्केल 3600/– की गई तथा वरिष्ठ अध्यापक की एन्ट्री

पे स्केल 4200/– की गई तथा 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम एसीपी 4800/– ग्रेड पे निर्धारित की गई तथा 18 वर्षीय एसीपी 5400/– ग्रेड पे निर्धारित की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को दिनांक 28.09.1994 से 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 14.12.1994 के द्वारा दिनांक 28.09.1994 से दिया गया तथा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ आदेश दिनांक 04.01.2005 के द्वारा दिनांक 01.09.2005 से दिया गया तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 02.07.2014 से आदेश दिनांक 28.04.2014 के द्वारा दिया गया। अपीलार्थी का फिक्सेशन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 के अनुसार 4800/– ग्रेड पे 18 वर्षीय एसीपी पर फिक्सेशन किया गया तथा अपीलार्थी का वेतनमान दिनांक 01.07.2013 से 9300–34800/– स्केल में 4800/– ग्रेड पे पर निर्धारित किया गया। जिसका उल्लेख सर्विस बुक में मौजूद है। उसके पश्चात् आदेश दिनांक 02.07.2014 के आदेश द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए अपीलार्थी को ग्रेड पे 5400/– में निर्धारित किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आलोच्य आदेश दिनांक 23.06.2021 के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेड–पे को परिवर्तित करते हुए अपीलार्थी की एन्ट्री पे स्केल 2800/– निर्धारित करते हुए दिनांक 01.07.2013 से 9 वर्षीय एसीपी का लाभ ग्रेड पे 3600/– निर्धारित किया गया तथा 18 वर्षीय एसीपी पर ग्रेड पे 4200/– निर्धारित करते हुए तथा 27 वर्षीय एसीपी पर 4800/– निर्धारित करते हुए अधिक भुगतान की वसूली के आदेश जारी किये। जबकि अपीलार्थी दिनांक 30.06.2021 को सेवानिवृत्ति के करीब जिसमें मात्र 2 दिन ही शेष है। उक्त वसूली आदेश एवं ग्रेड–पे संशोधित आदेश प्रत्यर्थीगण ने आदेश दिनांक 05.07.2013 के विपरीत जारी किया था। प्रत्यर्थीगण का उक्त कृत्य अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है।

तत्कालीन सेवा नियमों के अनुसार प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय की पे–स्केल समान थी तथा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय की एक ही वरिष्ठता सूची जारी की जाती थी। उसी के अनुसार अपीलार्थी की वरिष्ठता के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध 13.10.2006 के द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई तथा अपीलार्थी की 9 वर्ष की सेवा दिनांक 28.09.1994 को पूर्ण होने के कारण 9 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया तथा अपीलार्थी की 18 वर्षीय सेवा दिनांक 01.09.2005 को पूर्ण होने के कारण अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 01.09.2005 से दिया गया तथा दिनांक 02.07.2014 को अपीलार्थी की 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने के कारण अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 02.07.2014 से दिया गया तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 के अनुसार अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2013 से 4800/– ग्रेड पे देते हुए 27 वर्ष की सेवा पर दिनांक 01.07.2014

ग्रेड पे 5400/– में फिक्सेशन किया गया, जो विधि अनुसार व नियमानुसार जारी किया गया था।

संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा संभाग, जयपुर ने राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के नियम 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 13.10.2006 के द्वारा पदोन्नति करते हुए पदस्थापन किया गया। उसके पश्चात् आदेश दिनांक 19.07.2016 के द्वारा वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति की। तब से अपीलार्थी उक्त पद पर कार्यरत है।

राज्य सरकार ने दिनांक 05.07.2013 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम, 2008 के अन्तर्गत परिवर्तित ग्रेड पे के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया, जिसमें राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 के अनुसार जिन पदों का रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे परिवर्तित हो गया है, उन पद धारकों को जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है, उन्हें परिवर्तित रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के आधार पर एसीपी दिनांक 01.07.2013 से संशाधित की गई। उक्त प्रावधान के अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को संशोधित आदेश के द्वारा 18 वर्षीय चयनित वेतनमान पर दिनांक 01.09.2005 से दिया जा चुका, उसको ग्रेड पे 4800/– में निर्धारित किया गया, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने अवैध व अनुचित तरीके से आदेश दिनांक 23.06.2021 के द्वारा परिवर्तित करते हुए ग्रेड पे 4800/– निर्धारित की गई तथा वसूली के आदेश जारी किये गये, जो अपने आप में अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है। उक्त आधार पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। इसलिये उक्त आदेशानुसार अपीलार्थी की रनिंग पे बैण्ड परिवर्तित नहीं की गई।

अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी, उस समय प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय की वेतन श्रृंखला समान थी, इसीलिये अपीलार्थी को नौ वर्षीय चयनित वेतनमान अपीलार्थी की योग्यता रखने के कारण वरिष्ठ अध्यापक के पद की वेतन श्रृंखला 5000–8000 में फिक्स किया गया तथा अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4800/– में फिक्स किया गया। पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 जो दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी हैं, उक्त नियमों में प्रथम नियुक्ति पद से वेतन की गणना करते हुये कर्मचारी के वेतन को रिवाईज करने के निर्देश दिये गये तथा वर्ष 2006 में अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान प्राप्त कर चुका था, जबकि अपीलार्थी का पूर्व में जारी फिक्सेशन आदेश राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया गया था। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 4 के कार्यालय ने अवैध व अनुचित तरीके से आदेश दिनांक 23.06.2021 के द्वारा

अपीलार्थी को ग्रेड पे 5400/– के स्थान पर 4800/– में परिवर्तित किया तथा वसूली के आदेश जारी किये जो राज्य सरकार के उक्त आदेशों के विपरीत है तथा अवैध व अनुचित है। उक्त प्रावधान जो कर्मचारी उक्त प्रावधानों में नियुक्त हुए है, या जिनको प्रावधान आने के बाद में चयनित वेतनमान दिया जाना है, उनके संबंध में है। अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य आदेश में वर्णित प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किये जा सकते है। कोई भी प्रावधान पश्चातवर्ती प्रभाव से ही लागू किया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के संबंध में भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर आमादा है। जो अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है।

विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 07.08.1998 में प्रथम बार प्रयोगशाला सहायक व अध्यापक ग्रेड तृतीय में अंतर किया गया। अध्यापक ग्रेड तृतीय को एन्ट्री पे स्केल नं. 9ए जोडते हुये वेतन श्रृंखला 4500–7000 दी गई, अपीलार्थी भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर कार्यरत था। नियमानुसार अपीलार्थी को भी आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी की एन्ट्री पे स्केल 4500–7000 मानते हुये अपीलार्थी का जो पूर्व में फिक्सेशन किया गया था, सही था तथा आलोच्य आदेश में मनमाने ढंग से गलत रूप से व्याख्या करते हुये नॉन एप्लीकेशन माइण्ड से प्रयोगशाला सहायक की वेतन श्रृंखला दी गई है, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 2458/2003 हरफूल सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान दिनांक 03.07.2009 को अवैध मानते हुये नियमानुसार प्रयोगशाला सहायक को भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के समान एन्ट्री पे स्केल 4500–7000 में वेतन निर्धारण करते हुये फिक्सेशन किया जाना चाहिये। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। अपीलार्थी को भी अध्यापक ग्रेड तृतीय के समान तथा अध्यापक ग्रेड तृतीय पर कार्यरत होने के कारण अपीलार्थी को एन्ट्री पे स्केल 4500–7000 में फिक्सेशन करते हुये अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान देने पर ग्रेड पे 4800 प्राप्त करने का अधिकार है तथा 27 वर्षीय सेवाओं पर ग्रेड पे 5400/– प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रत्यर्थीगण का आलोच्य आदेश माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के विपरीत है।

अपीलार्थी को 18 वर्षीय चयनित वेतनमान पर ग्रेड पे 4800/– तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान में 5400/– ग्रेड पे में फिक्सेशन के अनुसार ही अपीलार्थी 7वें वेतन आयोग का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रत्यर्थीगण ने आज तक भी अपीलार्थी को उक्त फिक्सेशन के अनुसार उक्त लाभ प्रदान नहीं किया है और ना ही उक्त फिक्सेशन के एरियर का भुगतान आज तक किया है। प्रत्यर्थीगण का उक्त कृत्य अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है तथा विधि विरूद्ध है। उक्त आधार पर भी अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

प्रत्यर्थीगण ने अन्य कर्मचारियों को जो न्यायालय में गये है, उनको एन्ट्री पे स्केल 3600 मानते हुए 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर क्रमशः 4200, 4800, 5400 ग्रेड पे में फिक्सेशन किया है। परन्तु अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थीगण को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के बावजूद आज तक भी उक्त लाभ प्रदान नहीं किया गया है। प्रत्यर्थीगण का उक्त कृत्य समानता के अधिकारों के विपरीत है तथा अवैध व अनुचित है तथा मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2021 को अवैध व अनुचित मानते हुए शून्य घोषित किया जावें तथा प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जावें कि अपीलार्थी को 9 वर्ष की सेवा पर 4200/–, 18 वर्ष की सेवा पर 4800/– तथा 27 वर्ष की सेवा पर 5400/– ग्रेड पे में फिक्सेशन करते हुए अपीलार्थी को 7वें वेतन आयोग का फिक्सेशन करते हुए समस्त एरियर का भुगतान तथा अन्य परिलाभ का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रत्यर्थीगण से अपीलार्थी को दिलाया जावे तथा अपीलार्थी से कोई वसूली नहीं की जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील में जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी तथा उसके पश्चात् अपीलार्थी की सीधे ही वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की गई है इसलिए राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए अपीलार्थी के द्वारा चाहा गया अनुतोष अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील में जिस प्रकार से प्रार्थना की गई है वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 05.07.2013 के बिंदु संख्या 5 में यह प्रावधान किया गया है कि जिन कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के पश्चात् दिनांक 01.07.2013 से पूर्व पदोन्नति हो चुकी है उन्हें पदोन्नति पद पर प्राप्त परिवर्तित ग्रेड पे के आधार पर ए.सी.पी. देय होगी। उदाहरणार्थ यदि किसी कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति हो गई है तथा दिनांक 01.07.2013 से पूर्व वरिष्ठ लिपिक के पद की ग्रेड पे 2400/– प्राप्त कर रहा था। उन्हें 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत ठीक उच्चतर ग्रेड पे 2800 अनुज्ञेय थी। अपीलार्थी के प्रकरण में भी अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 01.07.2013 से पूर्व वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हो चुकी थी तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक की ग्रेड पे 4200/– होती है तथा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 4800/– अपीलार्थी को देय होती है तथा 27 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 5400/– होती है, उसी के अनुसार पूर्व में अपीलार्थी का फिक्सेशन किया गया था, परंतु राज्य सरकार की

अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 के उदाहरण संख्या 3 में उल्लेखित प्रावधान के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेड पे को परिवर्तित किया गया है, जो मनमाना व पक्षपातीपूर्ण है तथा अधिकरण ने पूर्व में भी अनेकों अपीलों में कार्मिकों को प्रयोगशाला सहायक से अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर समायोजित अध्यापकों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर ग्रेड पे क्रमशः 4200/–, 4800/– एवं 5400/– दी गई है जबकि अपीलार्थी की पदोन्नति ही वरिष्ठ अध्यापक के पद पर की गई है इसलिए अध्यापक के पद से अपीलार्थी उच्चतर पद पर कार्यरत होने के बावजूद अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय से ग्रेड पे 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पर आलोच्य आदेश के द्वारा ग्रेड पे 4800/– दी गई है, जो उक्त प्रावधानों के विपरीत है।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 में उदाहरण संख्या 3 में यह प्रावधान है कि वरिष्ठ अध्यापक पद की ग्रेड पे 3600/– जिससे दिनांक 01.07.2013 से ग्रेड पे 4200/– परिवर्तित की गई है। ऐसे अध्यापकों को पूर्व में 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए.सी.पी. प्रथम के रूप में ग्रेड पे 4200/– अनुज्ञेय थी उनकी अब दिनांक 01.07.2013 से पद की परिवर्तित ग्रेड पे 4200/– के आधार पर ए.सी.पी. प्रथम में ग्रेड पे 4800/– अनुज्ञेय होगी तथा उक्त अधिसूचना के बिंदु संख्या 5 में यह प्रावधान किया गया है कि जिन कर्मचारियों की प्रथम नियुक्ति के पश्चात् दिनांक 01.07.2013 से पूर्व पदोन्नति हो चुकी है उन्हें पदोन्नति पद पर प्राप्त परिवर्तित ग्रेड पे के आधार पर ए.सी.पी. देय होगी। अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 01.07.2013 से पूर्व वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति हो चुकी थी तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक की ग्रेड पे 4200/– होती है तथा अपीलार्थी को 18 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 4800/– अपीलार्थी को देय होती है तथा 27 वर्ष की सेवा पर अगली ग्रेड पे 5400/– होती है, उसी के अनुसार पूर्व में अपीलार्थी का फिक्सेशन किया गया था व उचित एवं वैद्य था, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.07.2013 के उदाहरण संख्या 3 में उल्लेखित प्रावधान के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी की ग्रेड पे को परिवर्तित किया गया है, जो उचित प्रतील नहीं होता है। वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त ग्रेड पे 4200/– रूपये है। ए.सी.पी. की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ग्रेड पे क्रमशः 4200/–, 4800/– एवं 5400/– देय है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में निर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है, जो प्रयोगशाला सहायकों के

वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत हो गये हैं। वे वरिष्ठ अध्यापक पद का चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाती है और सहायक लेखाधिकारी ग्रेड प्रथम कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बांदीकुई के आक्षेप दिनांक 23.06.2021 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी के संबंध में अपास्त किया जाता है तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्ष से ए.सी.पी. के लाभ पर ग्रेड पे क्रमशः 4200/–, 4800/– एवं 5400/– में फिक्सेशन करते हुए सातवे वेतन आयोग का भुगतान किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना तीन माह की अवधि में की जावे। निर्धारित अवधि में पालना नहीं करने की स्थिति में अपीलार्थी की रोकी गई राशि/वेतन से कटौती की राशि को 9 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान तिथि तक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

आदेश आज दिनांक 20.03.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)